राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कानां / लालाराम

तारीख हुक्म	512/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1	
19/2/18	आज यह पत्रावली आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। समयाभाव के कारण आज आदेश लिखाया नहीं जा सका। अतः पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 28/2/2018 को पेश हो।	
28/2/18	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर उसमे एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के संयुक्त खातेदार काश्तकार है, जिसमे प्रार्थीगण/अपीलार्थीगण का 5/21 हिस्सा है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2033 से 2043 व 2042 से 2045 में लाला, लक्ष्मण, ओमप्रकाश पिसरान् डोला हिस्सा बराबर, गोपाल, रामस्वरूप, रामनारायण, किशना, रामल्या, नारायण पिसरान् रामबक्ष जाति गुर्जर हिस्सा है। उक्त इन्द्राज आगे की जमाबन्दी मे भी इसी प्रकार किया जाना चाहिये था लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ने तत्कालीन हल्का पटवारी से मिलीभगत कर जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 मे निम्न इन्द्राज करवा लिया "लाला, लक्ष्मण, ओमप्रकाश पिसरान् डोला हिस्सा बराबर व गोपाल, रामस्वरूप, नारायण, किशना, रामल्या व नारायण पिसरान् रामबक्ष जाति गुर्जर साकिन देह हिस्सा बराबर खातेदार" अर्थात जमाबन्दी सम्वत् 2046 से 2049 मे "व" शब्द जोड दिया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का उनके पिता डोला के 1/7 हिस्सा है और वह अपने पिता के हिस्से से अधिक भूमि नहीं ले सकते किन्तु उक्त "व" शब्द जोड़ने से उनके नियत में फितूर उत्पन्न हो गया एवं वह	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	412/2017 काना / लालाराम — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2	

अपने आप को उक्त विवादग्रस्त भूमि मे 1/2 हिस्से के खातेदार मानते हुये एक वाद माननीय न्यायालय मे वादीगण के विरूद्ध बाबत् तकासमा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वादीगण ने हाजिर होकर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्से से इन्कार किया है तथा कहा है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/7 हिस्सा है तथा बाकी हिस्सा अन्य खातेदारान का 1/7 हिस्सा है तथा इसी अनुसार मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है। उक्त "व" शब्द का गलत इन्द्राज होने से वादीगण के लिये आवश्यक हुआ कि वह उक्त इन्द्राज को दुरूस्ती हेतु वाद प्रस्तुत करे जिससे खातेदारान का हिस्सा स्पष्ट हो सके। उक्त गलत इन्द्राज की वजह से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की नियत में फितूर उत्पन्न हो एवं वे ऐलानिया कहते है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि मे हम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा है एवं आने वाली फसल मे हमारे हिस्से 1/2 के अनुसार जबरन काश्त करेगे, जिससे बाद मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ की है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि धरनगत आराजी मे उनके 5/21 हिस्से में किसी प्रकार कब्जे काश्त में मजाहमत न करे एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे। उक्त प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं बाद सुनने बहस अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06/6/2017 के द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निर्धारित तीनो बिन्दुओ का विवेचन करते हुये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी / अपीलार्थी की यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिस पर बहस अभिभाषकु पक्षकारान समाप्त की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	412/2017 कानां / लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध मे प्रस्तुत किया, जिस पर दिनांक 06/6/17 को निर्णय पारित कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 द्वारा एक अन्य वाद तकासमा, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया था, जिसमे अपीलांटस का कब्जा माना गया है। पूर्व में भूमि सात भाईयो के नाम थी। दो भाई किशना व रामस्वरूप नाओलाद फौत हो गये। अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में आगे निवेदन किया कि पत्रावली मे वर्तमान में अंकन स्पष्ट नही होने के कारण रेस्पोडेन्टस द्वारा 1/2 हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत कर दिये जाने पर अपीलान्ट द्वारा भी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित तीनो बिन्दुओ का कोई विवेकपूर्ण विवेचन नही किया गया है। अभिभाषक अपीलान्ट ने RRD-1987 पेज 426, RRD-1996 पेज-90, उद्धरित करते हुये बहस मे निवेदन किया कि यद्यपि रेस्पोडेन्टस रिकॉर्ड खातेदार है किन्तु रिकॉर्ड खातेदार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है। अतः अपील व प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण / रेस्पोडेन्टस के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के प्रारम्भ मे निवेदन किया कि प्रार्थी / अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी मे से 5/21 हिस्से पर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है। इस संदर्भ में

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कैना / लालाराम

तारीख हुक्म	512/2017 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि पूर्व में गोपाल के फौत होने पर उसकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 122 दिनांक 09/10/1995 को तस्दीक किया गया, जिससे गोपाल के वारिसान के आगे हिस्सा 1/7 दर्ज किया गया, जिसकी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहा अपील पेश की गई, जिसे दिनांक 12/6/2000 को स्वीकार करते हुये नामान्तकरण संख्या 122 के सम्बन्ध मे पारित आदेश दिनांक 09/10/95 से कॉलम संख्या 9 में गोपाल के वारिसान के नाम के आगे अंकित हिस्सा 1/7 को विलोपित किया गया, जिसकी अपीलार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की गई जो दिनांक 09/5/06 को खारिज की गई एवं अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का फैसला बहाल रखा गया है, जिससे अपीलार्थीगण का 5/21 हिस्से के सम्बन्ध में चाहा गया अनुतोष सिद्ध नही होता है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस मे आगे निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित तीनो बिन्दुओ का स्पष्ट विवेचन कर निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्टस द्वारा कोई अनाधिकृत हस्तक्षेप नही किया गया है, जिससे वादकारण एवं उसके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का कारण उत्पन्न होता हो, न ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय पारित करने में कोई अवैधानिकता की गई है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा जवाब उल जवाब में निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस द्वारा 1/2 हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है, जिससे रेस्पोडेन्टस द्वारा अनाधिकृत हस्तक्षेप किया जाना सिद्ध है। अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	412/2017 काना / लालाराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीओ का अवलोकन किया। विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी के पक्ष में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के निस्तारण हेतु प्रथमदृष्टया प्रकरण नही बनता क्युंकी उनके पक्ष में हुवे 1/7 हिस्से के इन्द्राज को माननीय राजस्व मण्डल के स्तर तक विलोपित रखा गया है, जिससे प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में वर्तमान में उनकी स्थिति स्पष्ट नही है। इसके अतिरिक्त राजस्व रिकार्ड में प्रश्नगत आराजीयात के सम्बन्ध में समस्त पक्षकारान के इन्द्राजात विद्यमान है, जिससे वाद के निर्णय के पूर्व किसी विशेष हिस्से हेतु किसी अन्य सहखातेदार को पाबन्द किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नही होता है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06/6/2017 उचीत प्रतीत होने से यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 28/2/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर